न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2018 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्रीमती कि"ानी बेवा हरिराम जी बलाई, निवासी पिपरडा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. कालूलाल पिता केवलराम जी खटीक, निवासी पिपरडा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

भांकरनाथ पिता रामानाथ जी कालबेलिया, निवासी पिपरडा–भट्टा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर राजसमन्द दिनांक
29–05–2018 प्रकरण सं. 1/2012

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2– श्री अतुल पालीवाल अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक

27–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपरडा में आराजी नंबर 3754 रकबा 7½ बीघा भूमि स्थित है, जिसके पास ही प्रार्थी के समाज की भम"ाान की भूमि है। उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या

1 को दिनांक 30–12–1978 को किया गया है, जिसका विक्रय विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को कर दिया गया है, जबकि विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन नियमों के विपरीत है। आवंटन पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की गयी तथा आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उक्त आवंटन को नियमानुसार बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 29–05–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–06–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री अतुल पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी है जो पत्रावलो के रेकार्ड पर है।

अपील द्वारा आदे”ा 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में अंकित (क) से (र) तक कुल 15 दस्तावेजात प्रस्तुत कर उन्हें अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि आवंटन ग्राम पंचायत के सरपंच की मौजूदगी में किया गया है तथा उक्त आवंटन के साथ काफी लोगों को आवंटन किये गये हैं। तकनीकि बिन्दु के

आधार पर 40 वर्श पूर्व किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। पर्चा मौका अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवंटन धोखे अथवा मिसरिप्रजेन्टे''ान से प्राप्त नहीं किया गया है, बल्कि विधिवत आवंटन किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर उक्त आवंटन को बहाल रखा जाव।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक बहस में बताया कि पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि पर समाधियां बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन निरस्ती का जो आदे''ा पारित किया है वह विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा आदे''ा 41 नियम 27 जा.दी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया तो यह पाया कि अन्य कई व्यक्तियों के साथ अपीलान्टगण को विवादित भूमि का विधिवत आवंटन वर्श 1978 में किया जाकर उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी द्वारा वर्श 2012 में आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया गया है अर्थात करीब 34 वर्श बाद आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है तथा मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट जो अपीलान्ट/विपक्षी की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है, को आधार मानते हुए अपीलान्ट/विपक्षी के पक्ष में विधिवत किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया है, जो प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–05–2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण

में उपलब्ध साक्ष्यों की रो''ानी में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27–11–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर